

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज।

प्रशासकीय आदेश सं.-17


दिनांक : जनवरी 06 2024

आदेश

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सभी मूल न्यायालयों (पैरेन्ट्स कोर्ट) के मुंसरिम द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में ही नये दाखिले प्राप्त किये जाते हैं। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, सदर मुंसरिम सहित समस्त मूल न्यायालयों (पैरेन्ट्स कोर्ट) के मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वे नये दाखिले जूडिशियल सर्विस काउन्टर/न्यायिक दाखिल केन्द्र में ही विहित समयावधि तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी सम्बन्धित अनुपालनार्थ सूचित हों।


(संतोष राय)
जनपद न्यायाधीश,
प्रयागराज।